झारखण्ड सरकार

कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला।
जिला–सरायकेला–खरसावाँ।
e-mail- dfo-saraikela@gov.in Telefax No.06597-234891(O)

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ॥

पत्रांक :........................ / सरायकेला दिनांक :.......................

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,
झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,
आदित्यपुर, जमशेदपुर।

विषय :– **सर्वश्री आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को स्वीकृत 276.97 एकड़ वनभूमि में से आवंटित वन क्षेत्र के बारे में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषया के संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन विभाग जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9 / 2007–FC दिनांक 03.10.2008 के द्वारा आयड़ा (AIDDA) को 1200.09 एकड़ वनभूमि का कई शर्त्तों के साथ स्वीकृती दी गई है। शर्त्त संख्या II के अनुसार 276.97 एकड़ वनभूमि के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अपयोजन प्रस्ताव अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया है। भारत सरकार के पत्रांक F No. 8-91/2009-FC दिनांक 17.02.2015 के द्वारा 276.97 एकड़ अपयोजन प्रस्ताव पर पृछा की गई है, का अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिसके फलस्वरूप अपयोजन स्वीकृति लंबित है।

मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को कुल 25.00 एकड़ भूमि आवंटन किया गया है जिसमें से 21.60 एकड़ वनभूमि अपयोजन प्रस्तावित 276.97 एकड वनभूमि का अंश है। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा उनके आवंटित क्षेत्र में अवस्थित प्लान्ट का विस्तारण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है। राज्य सरकार के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति इस शर्त्त के साथ निर्गत की गई है कि प्लॉट विस्तारित वनक्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अपयोजन स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में ही वैध / अनुमान्य होगी। इस शर्त्त का अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा आयड़ा से प्राप्त वन क्षेत्र 21.60 एकड़ का अपयोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

अतः उल्लेखित वस्तुस्थिति के संदर्भ में सूचित करना है कि मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 21.60 एकड वनभूमि का अपयोजन संबंधित प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए आपका स्वीकृति / अनापत्ति पत्र आवश्यक है। अनुरोध है कि विधिवत सूचना दी जाय, ताकि अपयोजन प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सरायकेला वन प्रमंडल।

ज्ञापांक : 874 दिनांक : 03/05/2019

प्रतिलिपि : मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गम्हरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आयड़ा आदित्यपुर से वांछित स्वीकृति / अनापत्ति प्राप्त करने के लिए अपने स्तर से भी कार्रवाई करते हुए याचित सूचना समर्पित की जाय।

Aditya Narayan
वन प्रमंडल पदाधिकारी
सरायकेला वन प्रमंडल।

D:\Office file\FC Act\Hindustan petroleum adityapur 23.4.2019.docx